अनुलग्नक 60

अध्याय 25, पैरा 25.2

FORM ID : BLA 1

बूथ लेवल एजेण्ट्स की नियुक्ति के लिए मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय अथवा राज्य स्तरीय राजनैतिक दलों द्वारा अधिकृत प्रतिनिधियों के नाम सूचित करने हेतु अधिकृत व्यक्तियों के संबंध में संप्रेषण

प्रति,

1. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी,
   ....(राज्य/केंद्र शासित प्रदेश)
2. जिला निर्वाचन अधिकारी,
   ....(राज्य/केंद्र शासित प्रदेश)
3. निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी,
   ....विधानसभा क्षेत्र

विषय : मतदाता सूची का पुनरीक्षण – बूथ लेवल एजेण्ट (BLAs) की नियुक्ति हेतु व्यक्तियों को अधिकृत करना ।

महोदय,

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पत्र संख्या 23/BLA/2008/ERS दिनांक 19 नवंबर, 2008 में जारी निर्देशो के अनुपालन में, मै सूचित करता हूँ कि निम्नलिखित व्यक्ति को राजनैतिक दल, जो कि.................... राज्य का एक राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय राजनैतिक दल है, के द्वारा राजनैतिक दल प्रतिानिधियों के नाम सूचित करने के लिए अधिकृत किया गया है, जिन्हें, नामावलियों के पुनरीक्षण के दौरान अर्हता तिथि 1 जनवरी 20_ _ के संदर्भ में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त अभिहित/बूथ लेवल अधिकारियों से ड्राफ्ट/अंतिम मतदाता सूची की मुद्रित प्रतियाँ राजनैतिक दल की ओर से प्राप्त करने हेतु बूथ लेवल एजेण्ट के रूप में नियुक्त किया जाएगा।

नियुक्ति हेतु अधिकृत व्यक्ति का नाम	**राजनैतिक दल में धारित पद का नाम**	**जिला/निर्वाचन क्षेत्र जिसके संबंध में अधिकृत किया गया है।**
1	2	3
(1)		
(2)		
(3)		

2. इस प्रकार उपयुक्त अधिकृत व्यक्तियों के हस्ताक्षर नमूना नीचे दिये गये है।

(1) नमूनार्थ हस्ताक्षर, श्री

....(i)

....(ii)...

(iii)...

(2) नमूनार्थ हस्ताक्षर, श्री

....

................(i)

....(ii)

....

(iii)...

(3) नमूनार्थ हस्ताक्षर, श्री

....

................(i)

....(ii)

....

(iii)...

भवदीय

स्थान.........................

राजनैतिक दल के अध्यक्ष/सचिव का नाम

दिनांक.........................

(राजनैतिक दल की मुहर)

टीपः—

1. निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी और संबंधित मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को प्रारूप प्रकाशन की निर्धारित तिथि की **घोषणा के सात दिनों के भीतर** दोपहर 3 बजे तक सौंप दिया जाना चाहिए।
2. फॉर्म पर ऊपर उल्लिखित व्यक्ति द्वारा स्याही से हस्ताक्षर किया जाना चाहिए। कोई भी प्रतिकृति हस्ताक्षर या रबर स्टांप आदि के माध्यम से हस्ताक्षर स्वीकार नही किये जाऐगें।
3. राजनैतिक दल की मुहर लगी होनी चाहिए।
4. फैक्स या ई–मेल द्वारा प्रेषित कोई भी फॉर्म स्वीकार नही किया जावेगा।

अनुलग्नक 61

अध्याय 25, पैरा 25.2

FORM ID : BLA 2

बूथ लेवल एजेण्ट्स की नियुक्ति के लिए मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय राजनीतिक दल द्वारा अधिकृत व्यक्तियों द्वारा नियुक्त बूथ लेवल एजेण्ट के नाम की सूचना

प्रति,

अभिहित अधिकारी/बूथ लेवल अधिकारी

निर्वाचन नामावली भाग संख्या...................

निर्वाचन क्षेत्र..

विषय – मतदाता सूची का पुनरीक्षण – बूथ लेवल एजेण्ट (BLA) की नियुक्ति

महोदय,

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पत्र संख्या 23/BLA/2008/ERS दिनांक 19 नवंबर 2008 में जारी निर्देशो के अनुपालन में मुझे दल द्वारा दल के बूथ लेवल एजेण्ट्स नियुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है। इसके अनुपालन में नये एतद् द्वारा श्री/श्रीमती/कु.....................................को विधानसभा क्षेत्र.................के निर्वाचन नामावली भाग संख्या.........................हेतु दल के बूथ लेवल एजेण्ट के रूप में नियुक्त करता हूँ। वह 01 जनवरी 20_ _ के संदर्भ में निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण के दौरान उक्त भाग के प्रारूप/अंतिम मतदाता सूची की मुद्रित प्रतियां, निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी द्वारा नियुक्त अभिहित अधिकारी/बूथ लेवल के अधिकारियों से दल की ओर से एकत्र करेगें।

उसका नाम मतदाता सूची के इस भाग में क्रम संख्या...........में शामिल है। वह मतदाता सूची के भाग के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र से भलीभांति परिचित है और मतदाता सूची में प्रविष्टियों को सत्यापित करने में सक्षम है।

नमूना हस्ताक्षर श्री/श्रीमती/कु. ....

(i).. (ii)...

(iii)...

भवदीय

स्थान........................ (दल के अधिकृत व्यक्ति का नाम व हस्ताक्षर)

दिनांक..................... (दल की मुहर)

टीप –

1. इसे मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन तिथि से दावा अपत्ति दाखिल किये जाने की अंतिम तिथि तक किसी भी समय निर्दिष्ट स्थान पर मतदाता सूची के भाग के लिए निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी द्वारा नियुक्त अभिहित अधिकारी/बूथ लेवल अधिकारी को भेजा जाना चाहिए।

2. फॉर्म पर ऊपर उल्लिखित व्यक्ति द्वारा स्याही से हस्ताक्षर किया जाना चाहिए। कोई भी प्रतिकृति हस्ताक्षर या रबर स्टांप आदि के माध्यम से हस्ताक्षर स्वीकार नही किये जाऐगें।

3. यह फॉर्म अभिहित अधिकारी/बूथ लेवल अधिकारी के समक्ष व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किया जाना चाहिए।